संख्याः– 95 /XIV–1/2017–5(7)/2016

प्रेषक,

बी0एम0मिश्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

सहकारिता,गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून दिनांक 13 फरवरी, 2017

विषयः–वित्तीय वर्ष 2016–17 में आपदा राहत, बाढ़/अतिवृष्टि के कारण ब्याज पर राज सहायता हेतु अनुदान मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या–6756/नियो0/ओला अतिवृष्टि/2016–17 दिनांक 02जनवरी,2017 एवं पत्र संख्या–7400/नियो0/ओला अतिवृष्टि/2016–17 दिनांक 30 जनवरी,2016 तथा वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्याः–490/XXVII (1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 एवं पत्र संख्याः–847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–460/2013 बाढ़ अतिवृष्टि के कारण जिन किसानों की फसल क्षतिग्रस्त हो गयी है या बह गई है उनका कृषि ऋण का ब्याज पूर्ण रूप से माफ कर दिया जायेगा, हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1,69,87,000.00 के सापेक्ष पूर्व में निर्गत धनराशि रू0 56,62,000.00 को घटाते हुए अवशेष मांग **धनराशि रू0 1,12,38,877/–(रूपये एक करोड़ बारह लाख अड़तीस हजार आठ सौ सतहत्तर मात्र)** निम्नांकित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों/मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) उक्त योजना से लाभान्वित होने वाले कृषकों का पूर्ण विवरण निबंधक, सह0समि0द्वारा 15 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि ब्याज माफी का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को ही मिले।

(3) निबंधक,सहकारी समितियां,उत्तराखण्ड पर स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना महालेखाकार (लेखा) कार्यालय,उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ तथा कोषागार का नाम व वाउचर संख्या, लेखाशीर्षक तथा आहरण की तिथि सहित सूचित करने का उत्तरदायित्व होगा।

(4) व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के पत्र संख्या–490/XXVII (1)/2016 दिनांक 31मार्च, 2016 का व समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत संगत आदेशों का अक्षरशः पालन निबंन्धक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों में किया जाय जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है यदि उसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगें तथा उन पर अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

क्रमशः

(6) व्यय का योजनावार मासिक विवरण ठीक अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 प्रपत्र पर नियमित रूप से वित्त विभाग,शासन तथा महालेखाकार कार्यालय उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित किया जाए

(7) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर जारी शासनादेशों का व वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–18 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–आयोजनागत–00–800–अन्य व्यय–29–बाढ़ अतिवृष्टि के कारण ब्याज पर राज सहायता–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3. ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31मार्च, 2016, शासनादेश दिनांक–26 जुलाई, 2016 एवं 20 सितम्बर, 2016 द्वारा द्वारा जारी दिशानिर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(बी0एम0मिश्र)
अपर सचिव।

संख्याः–95 (1)/XIV–1/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. वित्त –4/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार)
अनुसचिव।